"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त 2016—— भाद्रपद 1, शक 1938

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-9/खाद्य/2013/29-1. — आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 सहपठित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना क्र. का. आ. 1373 (अ), दिनांक 29-08-2006, का. आ. 906 (अ), दिनांक 02-04-2009, का. आ. 823 (अ), दिनांक 07-04-2008, का. आ. 905 (अ), दिनांक 02-04-2009, का. आ. 1621 (अ), दिनांक 02-07-2009 तथा का. आ. 1584 (अ), दिनांक 29-04-16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त आदेश में,-

अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् -

स. क्र.	अनुसूचित वस्तु	नगर की श्रेणी	व्यापारी (क्विंटल)	कमीशन अभिकर्ता (क्विंटल)	प्रसंस्करणकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"5	चीनी	समस्त	1000	1000	कोई सीमा नहीं"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. सिकरवार, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 4-9/खाद्य/2013/29-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-8-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. सिकरवार, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 10th August 2016

NOTIFICATION

No. F 4-9/Food/2013/29-1. — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955), read with Notification No. S. O. 1373 (E), dated 29-08-2006, S. O. 906 (E), dated 02-04-2009, S. O. 823 (E), dated 07-04-2008, S. O. 905 (E), dated 02-04-2009, S. O. 1621 (E), dated 02-07-2009 and S. O. 1584 (E), dated 29-04-16 of the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), with the prior concurrence of the Central Government, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Scheduled Commodities Dealers (Licensing and Restriction on Hoarding) Order, 2009, namely :-

AMENDMENT

In the said order,-

For serial number 5 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be substituted, namely :-

S. No.	Scheduled commodity	Category of city	Dealer (Qtls)	Commission Agent (Qtls)	Processor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“5	Sugar	All	1000	1000	No limit”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. S. SIKARWAR, Joint Secretary.